आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

19 & S. 20/19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्ता ,राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0- 06/2018-19
राजेन्द्र प्रसाद
बनाम
अंचल अधिकारी, बरहरवा
आदेश

यह नामांतरण अपील वाद आवेदक राजेन्द्र प्रसाद, पिता– स्व0 राजकुमार साव, सा0– डैम साईड (महावीर मंदिर के पहले) काके रोड, राँची के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद सं0 1514/96–97 में दिनाक 17.01.1979 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। साथ ही धारा 05 के तहत् कालक्षन्ति आवेदन भी दाखिल किया गया है। दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन एवं अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर वाद की कार्रवाई दिनांक 13.12.2018 को प्रारंभ की गई। इस नामान्तरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न है:–

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
मयुरकोला	27	303, 279, 213 एवं 318	03–14–01

अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत जमीन मौजा मयूरकोला के जमाबंदी नं0– 27, दाग नं0– 303, 279, 213 एवं 318, तौजी नं0– 325, कुल रकवा 03 बीघा 14 कट्ठा 01 धूर जमीन अपीलार्थी के पिता स्व0 राजकुमार साव ने (दाग नं0– 213 एवं 318 की जमीन को छोड़ कर) निबंधित केवाला सं0 142/1954 से खरीद कर भोग दखल किये। पिता के मरणोपरांत उनके दो पुत्र युवराज साव अजाद तथा अपीलार्थी राजेन्द्र प्रसाद दखल में आये एवं अभी तक भोग दखल करते आ रहे हैं। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि स्व0 इन्द्रदेव साहा, पिता– स्व0 उमाचरण साहा, सा0– मयूरकोला जो अपीलार्थी के मौसा जी थे वही देख–रेख करते थे। अपीलार्थी के मौसा स्व0 इन्द्रदेव साहा अपने दोनों लडके अकलू साहा एवं सत्यनारायण साहा के मिली भगत से एक जाली दस्तावेज निष्पादन कराये। उक्त निष्पादित निबंधित केवाला के आधार पर अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा बगैर नोटिस निर्गत किये एवं बिना जाँच पड़ताल के ही नामांतरण की कार्रवाई किये। उक्त गलत नामांतरण के आधार पर कर्मचारी खजाना रसीद निर्गत कर रहे हैं।

उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बतलाया गया कि नामांतरण वाद सं0 1514/1996–97 जो निबंधित केवाला सं0 6441 दिनांक 28.01.1983 पर आधारित है। उक्त में क्रेता इन्द्रदेव साव एवं विक्रेता युवराज आजाद साह दर्शाया गया है। जबकि अपीलार्थी के बड़े भाई का पूरा नाम युवराज साव आजाद है। साथ ही जो भी सम्पत्ति कागजात के अन्दर है वह अपीलार्थी एवं उनके बड़े भाई के नाम से संयुक्त की संपत्ति है। फलस्वरूप जमीन को अकेले युवराज नहीं बेच सकते हैं। जो कि गैर कानूनी है। उनके द्वारा यह भी स्पष्ट संज्ञान में दिया गया कि उक्त कागजात में दर्ज हस्ताक्षर व अंगुठा का निशान भी अपीलार्थी के भाई युवराज साव आजाद का नहीं है। क्योंकि जमीन उन्होंने

Scanned with CamScanner

बेचा ही नहीं है। उक्त का युवराज साव आजाद द्वारा शपथ पत्र समर्पित किया गया है। साथ ही उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया है कि संबंधित निबंधित केवाला में दर्ज दाग सं0 213 एवं 318 अपीलार्थी या उनके भाई का नहीं है। फलस्वरूप उक्त जमीन को बेचने का सवाल ही नहीं है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जालसाजी के तहत् दूसरे की जमीन का डीड में दिखाया गया है। उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया है कि कर्मचारी के द्वारा इन्द्रदेव साव के नाम रसीद काटा गया, जिसका क्रम सं0 2058993 दिनांक 23.11.2016 एवं देहिन्दा अकलू साह है। फिर अकलू साह ने अपने नाम एक रसीद कटवाया जिसका क्रम सं0 2058863 दिनांक 24.03.2017 है। उपरोक्त रसीद के क्रम सं0 से संदेह की स्थिति साफ उत्पन्न होती है। इसके साथ ही साथ रसीद सं0 2058863 पर नामांतरण वाद सं0 1325/2016–17 दिनांक 23.03.2017 दर्ज है जबकि अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 1325/2016–17 अस्वीकृत किया गया है। यहाँ यह भी संदेहास्पद की स्थिति उत्पन्न करता है।

अतएव अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद सं0 1514/1996–97 दिनांक 17.01.1997 में पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी अनुपस्थित। अंचल अधिकारी, बरहरवा को मूल अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कई स्मार पत्र निर्गत किये गये। इसके बावजूद भी मूल अभिलेख उनसे आज तक अप्राप्त है। दिनांक 17.08.2019 को सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि में अंचल अधिकारी, बरहरवा के प्रतिनिधि के रूप में अंचल निरीक्षक, बरहरवा उपस्थित हुए। उनके द्वारा उक्त तिथि को उपस्थित होकर वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं है, से संबंधित बयान दिया गया।

उपरोक्त तमाम् स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यकरुपेण विचारोपरांत स्पष्ट होता है कि अंचल कार्यालय द्वारा दाखिल खारीज से संबंधित अभिलेख या फिर कोई भी कागजात जैसे शुद्धि पत्र/पंजी–7/पंजी–27 नहीं प्रस्तुत किया गया है। जबकि बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 में यह स्पष्ट है कि अंचलाधिकारी ही Tenants Ledger Register का custodian हैं।

अतः अंचल अधिकारी, बरहरवा को निदेश दिया जाता है कि संबंधित अभिलेख की गहन जाँच एवं विवादित भूमि की स्थलीय जाँच कर Tenants Ledger Register को वास्तविक स्थिति के अनुकूल अद्यतन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँ
लेखापिल एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

Scanned with CamScanner